**Centrally Sponsored Schemes for Orissa**

2155. SHRI BASANT KUMAR DAS: Will the Minister of PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION be pleased to state:

(a) what is the total amount of allocation made to Koraput, Bolangir and Kalahandi districts in Orissa under various Central Government sponsored schemes from the year 1993-94 to 1995-96, yearwise and district wise;

(b) whether the allocated amount has been fully utilised; and

(c) if not, what are the details of the unutilised amount and reasons therefor and action taken for utilisation of the amount?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI BALRAM SINGH YADAV): (a) The outlays for the Annual Plans are finilised by the Planning Commission in consultation with the State Governments for the state as a whole and no specific allocation of any amount is made to the districts.

(b) and (c) Do not arise.

**Harmonised Commodity Classification System**

2156. SHRI B. K. HARIPRASAD: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether a new system of harmonised commodity classification has been introduced recently;

(b) whether this system is based on the International Harmonious system developed by Customs Co-operation Federation, Brussels and whether any modifications have been incorported to suit Indian conditions;

(c) whether this new system has been found acceptable and workable by customs in relation to interpretation of the first scheme; and

(d) if not, what measures are being considered to rectify the lacuna in the new system?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): (a) to (d) The Harmonised System of Classification for Export and Import Policy released recently is based on the System of Commodity Classification developed by the Customs Cooperation Council, Brussels and already in use by Revenue authorities since 1986. The classification has been extended to 8 & 10 digits to cover items appearing in Trade Policy.

All concerned Departments, including Revenue Department, were consulted during the preparation and finalisation of the Harmonised System and it has been generally welcomed by Trade and Industry.

All the references seeking clarification/ modification in respect of individual entries are being attended to promptly.

**सांसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत स्कीमों की निष्पादन हेतु निर्धारित समय-सीमा**

2157. **चौधरी हरमोहन सिंह:**
**श्री कनक सिंह मोहन सिंह मंगरोला:**

क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संसद सदस्य निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत संसद सदस्यो द्वारा अनुशंकित स्कीमों के निष्पादन के लिये कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बिहार की विभिन्न जिलों में इन स्कीमों के निष्पादन में विलम्ब हो जाता है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या सरकार इन स्कीमों के शीघ्र कार्यान्वयन के लिये कोई दिशा-निर्देश जारी करने का विचार रखती है; और

(च) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है?

**योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव)**: (क) और (ख) सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के मार्गदर्शी सिद्धांत सांसदों द्वारा अनुशंसित निर्माण कार्यों के निष्पादन के लिये किसी समय-सीमा का प्रावधान नहीं करते। हालांकि, निर्माण कार्यों को तेजी से सफलतापूर्वक पूरा करने के लिये जिला कलेक्टर एंव कार्यान्वयन अभिकरण उत्तरदायी हैं।

(ग) से (च) बिहार में सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति के संबंध में सरकार को कुछ शिकायतें प्राप्त हुई है। हालांकि हाल में बिहार में निर्माण कार्यों की प्रगति में तेजी आई है। राज्य सरकार के प्राधिकारी में तेजी लाने के लिये जिला कलेक्टरों को सामान्य अनुदेश भी जारी किये जा चुके हैं। जब भी किसी खास मामले में विलम्ब को सरकार के ध्यान में लाया जाता है, तो तुरन्त संबंधित जिला कलेक्टर/राज्य सरकार के साथ उठाया जाता है तथा अपयुक्त अनुदेश जारी किये जाते हैं।

## तोल और माप नियमों की समीक्षा

2158. **श्री मूलचन्द मीणा:**
**श्री अजीत जोगी:**

क्या **नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं को पूरा करने और उपभोक्ता हितों की सुरक्षा के लिए तोल और माप नियमों की समीक्षा करने का विचार रखती है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में वर्तमान स्थिति सहित प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ग) कानून के तकनीकी पहलू और कार्यान्वयन मशीनरी प्रौद्योगिकी के विकास के साथ प्रगति बनाए रखने को सुनिश्चित करने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं; और

(घ) प्रवर्तन तंत्र, व्यापारी वर्ग और उद्योग द्वारा जनता को माप पद्धति के विभिन्न पहलुओं के संबंध में शिक्षित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ताकि इस अधिनियम को उपभोक्ताओं के लिए अधिक लाभदायक बनाया जा सके?

**नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विनोद शर्मा)**: (क) से (ग) : सरकार ने बाट तथा माप कानूनों की समय-समय पर निरन्तर आधार पर समीक्षा करने और उपयुक्त सिफारिशें करने के लिए 1993, 1994 तथा 1995 के दौरान निम्नलिखित तीन स्थायी समितियां गठित की हैं:—

(i) बाट तथा माप, मानक (पैकेज में रखती वस्तुएं) नियम 1977 के उपबंधों की समीक्षा के लिए स्थायी समिति;

(ii) तोलने तथा मापने के उपकरणों की विशिष्टि तैयार करने से संबंधित स्थायी सलाहकार समिति,

(iii) अंतर्राज्यीय सत्यापन तथा स्टाम्पन नियम, 1987 के बारे में स्थायी परामर्शदात्री समिति।

अपने संहत गठन के कारण ये समितियां सरकार, उपभोक्ता संगठनों, विनिर्माताओं, व्यापारियों तथा उद्योगों को एक अन्तरापृष्ठ (इन्टरफेस) प्रदान करती हैं। यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से कि कानून/नियम प्रौद्योगिकी में प्रगति के अनुरूप हों, बाट तथा माप के तकनीकी विनियमों तथा प्रक्रियाओं की समय-समय पर समीक्षा की जाती है। समिति सिफारिशें करते समय डा० विषय-वस्तु के बारे में अंतर्राष्ट्रीय विधिक माप-विज्ञान संगठन (ओ०आई०एम० एल०) द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों को ध्यान में रखती है। पैकेज में रखी वस्तुएं नियम से संबंधित स्थायी समिति की सिफारिश के आधार पर शीतल पेय तथा बोतलों में बेचे जाने वाले तत्काल परोसे जा एकने वाले फलों के पेयों, मक्खन तथा उसी प्रकार की वस्तुओं को, उनके पैकेजों पर खुदरा बिक्री मूल्य की घोषणा करने से दी गई छूट को हाल में वापस ले लिया गया है। नियमों में ये संशोधन जल्दी ही प्रभावी हो जाएंगे ।

(घ) जनता, व्यापार तथा उद्योग को विभिन्न जन माध्यमों के जरिए बाट तथा माप कानूनों/नियमों के महत्वपूर्ण उपबंधों के बारे में शिक्षित किया जाता है। प्रवर्तन अधिकारियों के लिए मापन प्रणाली के विभिन्न